Converted by PDF Combine Pro - (no stamps are applied by registered version)

Main Attachment -1.5

परियोजना का नाम :–जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी–भवाली–धानाचूली–ओखलकाण्डा–खन्सयू – पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 मे 42 मी0 स्पान "क्लाश–ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (UDRP) Additional Funnding के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में खुटानी–भवाली–धानाचूली–ओखलकाण्डा–खन्सयू – पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 पर 42 मी0 स्पान "क्लाश–ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण के कार्य की स्वीकृति एच0पी0सी0 के लिखित ब्योरा दिनांक 23.08.2017 के आधार पर एच0पी0सी0 के पत्रांक 122/पी0एम0यू0/2017 यू0ई0ए0पी0 देहरादून दिनांक 31.08.2017 के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार सेतु के स्वीकृत स्थल के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र खनन, फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। उक्त मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा पूर्व निर्मित पुराना मार्ग है जिस पर 28.00 मीटर विस्तार का बैली ब्रिज स्थित है। इस मार्ग याता यात अत्यधिक तथा कई वर्ष पुराना पुल होने के कारण तथा संकरे होने से स्थानिय काश्तकारों एवं मार्ग पर चलने वाले बड़े तथा भारी लोडेड वाहनो को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थिति के आधार एच0पी0सी0 के लिखित ब्योरा दिनांक 23.08.2017 के तहत 42 मी0 स्पान "क्लाश–ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण के कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग पर उक्त श्रेणी का सेतु बन जाने से ग्राम गलानी, झारगॉव तल्ला, कालाआगर, गरगडी मल्ली, चमोली, खन्सयू, डल कन्या एवं गरगडी तल्ली के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो तथा समस्त क्षेत्रीय गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह सेतु मार्ग खुटानी –भवाली –धानाचूली –ओखलकाण्डा –खन्सयू –पतलोट मोटर मार्ग के किमी0 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 पर 42 मी0 स्पान "क्लाश–ए" (स्टील गर्डर) का सेतु ग्राम कालाआगर, गरगडी तल्ली नामक स्थान पर निर्मित किया जाना है ।

इस सेतु के निर्मित हो जाने से जंगलों को आग से बचाये जाने में पानी आदि बड़े भरी भरकम वाहनो को ले जाने हेतु मदत मिलेगी। सेतु के निर्माण में कुल 0.020 है0 वन भूमि प्रभावित होती है जिसमें किसी भी प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है। सेतु के निर्माण में सिविल सोयम भूमि 0.020 हे0 प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग वनाछाति है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोगा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग पर सेतु का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः सेतु के निर्माण मे प्रभावित वन भूमि (सिविल सोयम बंजर) 12X10 मीटर तथा 10X8 मीटर इस प्रकार प्रभावित होने वाली कुल 0.020 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड
लो0नि0वि0, नैनीताल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

Sample output to test PDF Combine only